28/5 पत्रावली बाजुता कृषवाए का निस्तारण होने के कारण [illegible] पत्र 212 RDM औचित्यहीन है। अत: प्रार्थना पत्र 212 RDM इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार पालिल दफ्तर होकर नं. से का हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़